

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बांय

अनुवान हनुमान सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या -...619.../2025

निर्णय दिनांक ..22/12/25

हनुमान सिंह पुत्र गुगन राम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--::निर्णय::--

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बांय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 18 के खसरा नं. 158 तादादी 1.5553 है0, खसरा नं. 161 तादादी 9.7367 है0, खसरा नं. 24 तादादी 5.1845 है0, खसरा नं. 414/158 तादादी 0.1012 है0, रोही ग्राम हरिपुरा तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम हड़मानाराम पुत्र गुगनराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम हनुमान सिंह पुत्र गुगन राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम हड़मानाराम पुत्र गुगनराम के स्थान पर हनुमान सिंह पुत्र गुगन राम किये जाने की अनुशांषा की है।

अतः खाता संख्या 18 के खसरा नं. 158 तादादी 1.5553 है0, खसरा नं. 161 तादादी 9.7367 है0, खसरा नं. 24 तादादी 5.1845 है0, खसरा नं. 414/158 तादादी 0.1012 है0, रोही ग्राम हरिपुरा तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम हड़मानाराम पुत्र गुगनराम Delete कर इसके स्थान पर हनुमान सिंह पुत्र गुगन राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..22/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बांय में लिखाया

जाकर सुनाया गया।



Rajendra Kumar
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)